न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(पीठ)

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या–66/2013–14 अन्तर्गत धारा–220 भू–राजस्व अधिनियम

नगर निगम, देहरादून –बनाम– श्री हर्ष तन्खा आदि

कोरम :

1.श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0,अध्यक्ष

2.श्री पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक)

प्रस्तुतकर्ता अधिवक्तागण :

प्रार्थी नगर निगम की ओर से : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।

प्रतिवादीगण की ओर से : श्री अरूण सक्सेना।

बावत

भूमि स्थित मौजा ढाक पट्टी, परगना केन्द्रीय दून तहसील व जिला देहरादून।

निर्णय

यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र विद्वान तत्कालीन मा0 अध्यक्ष द्वारा निगरानी संख्या–96/2012–13 हर्ष तन्खा आदि बनाम उत्तराखण्ड राज्य द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30–01–2014 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है।

अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता ने अपने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया है कि निगरानी में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 31–12–2013 को यह आदेश पारित किये हैं कि जिलाधिकारी, राजस्व विभाग, नगर निगम एवं सम्बन्धित पक्षकारों की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण कर मौके की वास्तविक स्थिति की जानकारी तथा फोटोग्राफ तथा संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट आगामी तिथि से पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे तथा दिनांक 28–01–2014 की तिथि नियत की गई। दिनांक 28–01–2014 को यह टिप्पणी अंकित थी कि मा0 अध्यक्ष महोदय के आदेश हुए कि पत्रावली दिनांक 30–01–2014 को प्रस्तुत करें। दिनांक 30–01–2014 को बिना कोई बहस सुने आदेश पत्रिका में यह लिखकर कि पूर्व में सुनी गई बहस के आधार पर मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा आदेश पारित किए गए हैं, जो कि विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं हैं। यह कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30–01–2014 को धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत जाकर निगरानीकर्तागण को जो प्रतिकार प्रदान किया है, वह धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान करने का क्षेत्राधिकार मा0 न्यायालय को प्राप्त नहीं था। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 30–01–2014 निरस्त किया जाय।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी/निगरानीकर्ता का कथन था कि आदेश दिनांक 30–01–2014 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि जो नगर निगम के नाम दर्ज की गई है को ग्राम ढाक पट्टी के खेवट संख्या–03 के महाल अतर सिंह में महालक्ष्मी तन्खा

और मधुलक्ष्मी के नाम दर्ज किया जाय जैसा कि खेवट 1371 से 1374 फसली में था। धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थीगण कलेक्टर, देहरादून को अपना नाम ग्राम ढाक पट्टी के खेवट संख्या–03 में चढ़ाने हेतु आवेदन करें। तत्समय नगर निगम को अवसर प्राप्त होगा कि वे कलेक्टर के समक्ष अपना पक्ष रखें कि विवादित भूमि पर उनका क्या अधिकार है और किस प्रकार उन्हें वह अधिकार प्राप्त हुआ है। वर्तमान निगरानी के दौरान मौके की स्थिति सूचक करने विषयक एक प्रतिवेदन जिलाधिकारी, देहरादून से मांगा गया था परन्तु यह प्रतिवेदन किसी कारण प्राप्त नहीं हो सका। उपरोक्तानुसार नामान्तरण की कार्यवाही के दौरान विवादित भूमि पर कब्जे की स्थिति कलेक्टर स्वंय देख सकते हैं।

निगरानी वाद की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण यह है कि प्रस्तुत निगरानी दिनांक 20–09–2013 को सुनवाई हेतु ग्रहण की गई एवं दिनांक 29–10–2013 को पक्षकारों की आंशिक बहस सुनकर शेष बहस हेतु 12–11–2013 की तिथि नियत की गई। दिनांक 12–11–2013 को अधिवक्तागणों के न्यायिक कार्यों से विरत रहने के कारण 21–11–2013 की तिथि नियत की गई। 21–11–2013 तक नगर निगम पर नोटिस तामील न होने के कारण दिनांक 10–12–2013 की तिथि नियत की गई। दिनांक 10–12–2013 को पक्षकारों को सुनने के उपरान्त अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा गया तथा अगली तिथि 26–12–2013 नियत की गई। दिनांक 26–12–2013 को भी अधिवक्तागणों के न्यायिक कार्यों से विरत रहने के कारण 31–12–2013 की तिथि नियत की गई तथा 31–12–2013 को यह आदेश पारित किये गये कि " आज अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं नगर निगम के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिवक्ता पक्षकारों को सुना गया। अधिवक्ता पक्षकारों द्वारा न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि प्रश्नगत भूमि नॉन जेड0ए0 भूमि है। अतः इस वाद में कोई आदेश पारित करने से पूर्व यह आवश्यक है कि जिलाधिकारी राजस्व विभाग, नगर निगम एवं सम्बन्धित पक्षकारों की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण करें। संयुक्त निरीक्षण आख्या में यह स्पष्ट किया जाय कि वर्तमान मौके पर वास्तविक स्थिति क्या है तथा किसी के द्वारा भूमि पर कोई निर्माण तो नहीं किया गया है अथवा आबादी तो नहीं है। मौके के वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु मौके के फोटोग्राफ निरीक्षण आख्या के साथ प्रस्तुत किये जायं। जिलाधिकारी, देहरादून से आगामी तिथि से पूर्व उपरोक्त आख्या/संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाय। पत्रावली आगामी तिथि 28–01–2014 को प्रस्तुत हो।" दिनांक 28–01–2014 को स्थल निरीक्षण आख्या प्राप्त न होने के कारण 30–01–2014 की तिथि नियत की गई तथा 30–01–2014 को यह टिप्पणी आदेश पत्र पर अंकित है कि पूर्व में सुनी गई बहस के आधार पर आदेश पारित किये गये हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि जब पत्रावली पर आदेश दिनांक 31–12–2013 के पश्चात न तो स्थल निरीक्षण आख्या प्राप्त हुई और ना ही बहस हेतु कोई तिथि नियत की गई। स्थल निरीक्षण आख्या प्राप्त होने पर भी सम्बन्धित पक्ष को उस पर

टिप्पणी(सकारात्मक/प्रतिकूल) करने का अवसर मिलता। दिनांक 31–12–2013 से पूर्व के आदेश पत्रों के अवलोकन से भी यह विदित होता है कि निगरानी में पक्षकारों की पूर्ण बहस नहीं हुई है और ना ही आदेश हेतु कोई तिथि नियत की गई जबकि सम्बद्ध पक्षकार लगातार उपस्थित रहे। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आदेश दिनांक 31–01–2014 एकपक्षीय रूप से पारित आदेश है और पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र जिसे पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र भी माना जा सकता है, स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र दिनांक 21–02–2014 स्वीकार किया जाता है। निगरानी संख्या–96/2012–13 हर्ष तन्खा आदि बनाम उत्तराखण्ड राज्य द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30–01–2014 वापस लेते हुए निगरानी मूल नम्बर पर कायम कर विधिवत निस्तारण हेतु पुनर्स्थापित की जाती है। पत्रावली मा0 अध्यक्ष के न्यायालय में दिनांक 22–07–2014 को प्रस्तुत हो।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 9/07/14 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित ।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।